वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 165/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-07.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 07.05.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना-तहबरपुर:चोरी गये इन्वर्टर, सिलेण्डर, स्ट्रीट लाईट व रूपये के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.2024 को रात्रि मे अपने खेत मे लगा समरसेबल की पाइप व समरसेवल सिलेडर पाइप से काट कर अज्ञात चोरो द्वारा चुरा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर हस्व आदेश थानाध्यक्ष महोदय मु0अ0सं0 217/2024 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता वादी चन्द्रशेखर राय पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र राय उपरोक्त बनाम अज्ञात चोर नाम पता अज्ञात के वतफ्तीशी उ0नि0 श्री उमाकान्त शुक्ला के पंजीकृत किया गया तथा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं 146/24 धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0 226/24 धारा 305,331(4) बीएनएस, व मु0अ0सं0 51/25 धारा 303(2) बीएनएस में चोरी गये सामान व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी सुरागरसी की कार्यवाही की जा रहा थी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

दिनांक 07.05.2025 को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त धन्जू गौड़ पुत्र जोखन गौड़ निवासी ग्राम व थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष व 2. संजय कुमार पुत्र मूरी राम निवासी ग्राम खरचलपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को 1520 रू0 नकद व संजय कुमार के पास से 1430 रूपया नकद मिला व 01 अदद ईन्वर्टर पावर जोन कम्पनी का, 01 अदद सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का, 01 अदद स्ट्रीट लाईट तमन कम्पनी का 120 वाट के साथ पूर्वाचल एक्सप्रेस वे अण्डर पास से समय करीब 4.30 हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. धन्जु गौड़ पुत्र जोखन गौड़ निवासी ग्राम तहबरपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. संजय कुमार पुत्र मूरी राम निवासी ग्राम खरचलपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 217/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं 146/24 धारा 379 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 226/24 धारा 305,331(4) बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 51/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1-धंजू गौड़ से 1520 रू0 नकद व संजय कुमार के पास से 1430 रूपया नकद मिला व 01 अदद ईन्वर्टर पावर जोन कम्पनी का, 01 अदद सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का, 01 अदद स्ट्रीट लाईट तमन कम्पनी का 120 वाट का बरामद हुआ।

02.थाना मुबारकपुरः दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 02.05.2025 को थाना मुबारकपुर पर के ग्राम अमुड़ी स्थित एक नाबालिग पीड़िता जो मानसिक विक्षिप्त है वह दिनांक 01.05.2025 को घर से बिना बताये कही चले जाने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 180/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रभारी चौकी सठियांव उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे द्वारा की जा रही है। विवेचना से अभियोग मे धारा 64/115(2) BNS व 3/ 4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी एवं अभियुक्त अजय पुत्र रामबचन निवासी ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 07.05.2025 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजय पुत्र रामबचन निवासी ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को नूरपुर से समय करीब 11.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

03.थाना- कोतवाली: हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि वादी संजय यादव पुत्र सजनू यादव निवासी हर्रा की चुंगी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दि. 15.10.24 सांय काल 5 बजे मेरा भाई करन यादव अपने साथी निखिल चौहान पुत्र अनिल चौहान निवासी शेखपुरा कोतवाली आजमगढ़ व हर्ष चौरसिया पुत्र अनिल चौरसिया निवासी हर्रा की चुंगी कोतवाली आजमगढ़ के साथ अपने बुलेट बाईक से बद्दोपुर की तरफ जा रहा था जहां रास्ते में उसे अमन सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह, निवासी दौलतपुर आजमगढ़ व रोशन सिंह पुत्र अज्ञात निवासी R.T.O आफिस के पास आजमगढ़ व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के साथ अपने मो0नं0 63929xxxxx से करन यादव 7394xxxxxx पर फोन करके बद्दोपुर बुलाया जहां जाते समय रास्ते में ही अमन सिंह ने अपने साथियो के साथ करन की गाड़ी रोककर करन के सीने में गोली मार दी जिससे करन घायल होकर नीचे गिर पड़ा। जिसे उसके दोस्तो की सहायता से ईलाज हेतु बेदांता अस्पताल लक्षिरामपुर लाया गया है, इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 582/24 धारा 109/3(5) बीएनएस दि. 15.10.24 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 7.5.25 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अंकित यादव पुत्र भन्टू उर्फ राजेन्द्र यादव निवासी नीवी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर आजमगढ उम्र 20 वर्ष को समय 09.05 बजे सिधारी हाल्ट से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया , अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

04.थाना अतरौलियाः दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 06.05.2025 को वादिनी/पीड़िता उपस्थित थाना आकर एक किता प्रा0पत्र हिन्दी लिखित प्रा0पत्र बावत वादिनी से कुछ माह पूर्व शादी का वादा करके शारीरिक सम्बन्ध बनाना जिससे वादिनी गर्भवती हो जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया। दाखिला प्रा0पत्र के आधार पर कायमी मु0अ0सं0 154/25 धारा 69 बीएनएस बनाम 1. सुदर्शन राजभर पुत्र फूलचन्द राजभर निवासी प्रतापपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार मिश्रा के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः—

आज दिनांक 07.05.25 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित वांछित अभियुक्त सुदर्शन राजभर पुत्र फूलचन्द राजभर निवासी प्रतापपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे अण्डरपास के नीचे ग्राम गदनपुर से अपराध से अवगत कराते हुए समय 10.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0154/2025 धारा 69 बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-सुदर्शन राजभर पुत्र फूलचन्द राजभर निवासी प्रतापपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

05.थाना जहानागंजः दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 13.03.2025 को वादिनी मुकदमा थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर अभि0 पवन तिवारी द्वारा वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर वादिनी मुकदमा से संम्बन्ध बनाना व वादिनी के द्वारा शादी की बात करने पर शादी नही करना व जान से मारने की धमकी देने के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 94/25 धारा 69, 351(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V SC ST ACT दिनांक घटना 12.10.2024 बनाम 1. पवन तिवारी पुत्र मनोज तिवारी मोढ़ बिरला नियत टोल प्लाजा जिला मिर्जापुर व तफ्तीशी सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय सदर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 07.05.25 को उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संम्बन्धित अभि0 पवन तिवारी पुत्र मनोज तिवारी निवासी बेलन बरौधा थाना लालंगज जनपद मिर्जापुर रामपुर तिराहे पास से समय 05.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बाद पुलिस कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्याया0 भेजा गया।

06.थाना- जीयनपुरः चोरी गये मोबाइल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 06.05.2025 को आवेदक सभापति सिंह पुत्र स्व गुलाब सिंह नि0ग्राम देउपुर कमालपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि मै परमहस इं0का0देवपुर हनुमाननगर आजमगढ व श्री परमहंस वालिका इं0का0देवपुर हनुमाननगर का प्रबन्धक हूँ मेरे इं0का0में जितेन्द्र सिंह पुत्र पारसनाथ सिंह ग्राम सरवसपुर मऊ चौकीदार के पद पर कार्यरत हैँ चौकीदार की ड्यूटी रात 8.00 वजे से सुबह 6 वजे तक रहती है इनकी पाँच मोबाइल बारी-बारी से दिनांक 12.03.2025 को आप के थाने में दर्ज है इस प्रकार 8 दिन 10 दिन के अन्तर पर सारी मोबाइल चोरी हो गयी आखिरी मोबाइल दिनांक 3-4 मई 2025 की रात में समय 12.48 मिनट पर चोरी हुई। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के अनुसार चोर अमरेश पुत्र गुड्डू ग्राम देवपुर कमालपुर थाना जीयनपुर आजमगढ को पकडा गया है जिससे चार मोबाइल प्राप्त कर ली गयी एक मोबाइल बताने के अनुसार किसी व्यक्ति को इमिलिया में बेचा है के सम्बन्ध मे सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ कि दाखिला तहरीर/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 165/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अमरेश पुत्र गुड्डू ग्राम देवपुर कमालपुर थाना जीयनपुर आजमगढ जिसकी विवेचना उ0नि0 हरिश शुक्ला द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक 06.05.2025 को उ0नि0 हरिष शुक्ला , सभापति सिंह पुत्र स्व गुलाब सिंह नि0ग्राम देउपुर कमालपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ प्रबंधक परमहस इं0का0देवपुर हनुमाननगर आजमगढ व श्री परमहंस वालिका इं0का0 देवपुर हनुमाननगर जीयनपुर आजमगढ़ मय हमराह द्वारा अभियुक्त अमरेश पुत्र गुड्डू ग्राम देवपुर कमालपुर थाना जीयनपुर आजमगढ मय 04 अदद एन्ड्राइड मोबाइल जिसमें 03 अदद SAMSUNG के व 01 अदद VIVO मय एक अदद पेन्ड्राइव व सीसीटीवी फुटेज के उपस्थित थाना हाजा आये एंव एक अदद प्रार्थना पत्र दिये प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 165/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अमरेश पुत्र गुड्डू ग्राम देवपुर कमालपुर थाना जीयनपुर आजमगढ पंजीकृत किया गया व संतरी पहरा की देख-रेख मे उ0नि0हरिश कुमार शुक्ला द्वारा नियमानुसार बरामदगी की फर्द तैयार की गयी व समय 14.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

07.थाना जहानागंजः अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 01.05.2025 को वादिनी थाना जहानागंज जनपद आमजगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी की लड़की उम्र 16 जो शौच करने गयी थी विपक्षी दीपक द्वारा शादी का झाँसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 151/2025 धारा 137(2) / 87 बीएनएस, दिनाक घटना 28.04.25 बनाम 1. दीपक कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी कोल्हुखोर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ वतप्तीशी उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 07.05.25 को उ0नि0 आदित्य सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 दीपक कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी कोल्हूखोर उम्र 22 वर्ष थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ब्लाक तिराहे से समय 05.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बाद पुलिस कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्याया0 भेजा गया।

08.थाना- महराजगंजः अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 08.04.25 को वादी मुकदमा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी रमेश पुत्र मोहित राम निवासी ग्राम बसही प्रेमनगर थाना सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा वादी की बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 118/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम रमेश पुत्र मोहित राम निवासी ग्राम बसही प्रेमनगर थाना सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 शैलेश कुमार यादव द्वारा की जा रही है। पीड़िता बरामदगी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 06.05.25 को उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता व अभियुक्त रमेश पुत्र मोहित राम निवासी ग्राम बसही प्रेमनगर थाना सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी को समय 20.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।